न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:— 03/2021 तारीख रजू:—01.01.2021

जी.सी.एम.एस. नं0:— 2021/1

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्योजी पुत्र रोडू माली, निवासी सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर। **(फोत)**

1/1. शिवनारायण

1/2. रामनारायण

पि0 श्योजी माली

1/3. रामप्यारी बेवा श्योजी माली

निवासीयन सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित::—

वकील प्रार्थी :— श्री तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, पैरोकार सरकार।

वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3:— श्री लोकेश कुमार सीठा, एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक:—17.03.2026

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि—

❖ ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2018—2021 के खाता संख्या 592 खसरा नंबर 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा माफी मंदिर श्री गोपाल जी का नाम अंकित है। उक्त भूमि माफी रिज्यूम होने से बिना नामान्तरकरण के खोले ही जमाबंदी ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा संवत् 2022—2025 खाता संख्या 455 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा का अंकन माफी मंदिर श्री [illegible] जी का हटा कर रोडू बल्द भुवाना माली के नाम अंकित कर [illegible] है। खसरा नंबर 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 का [illegible]ान क्षेत्रफल संवत् [illegible] से नवीन खसरा नंबर 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 अंकित हो गये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ नवीन भू–प्रबंध विभाग से बनी जमाबंदी ग्राम सोलपुर संवत् 2061–2064 के खाता संख्या 158 पर आराजी खसरा नंबर 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 पर खातेदार श्योजी पुत्र रोडू माली का नाम अंकित है, जिसे हटाकर विवादित आराजीयात को पुनः मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान ईसरदा के नाम लगाया जाना न्यायसंगत है, क्योंकि मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, जिसकी भूमि किसी के भी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम नहीं की जा सकती है। अतः इंद्राज दुरूस्ती के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

➢ साबिक खसरा नंबर 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 रकबा 9 बीधा 19 बिस्वा वाले ग्राम ईसरदा सोलपुर खतोनी बन्दोबस्त संवत 2009 में अप्रार्थीगण के पिता रोडू पुत्र भुवाना माली के खातेदारी में दर्ज है। आज भी अप्रार्थीगण उक्त भुमि पर काबिज है। खातोनी बन्दोबस्त संवत 2009 जबाव के साथ संलग्न है।

➢ अप्रार्थीगण की उक्त भुमि को तहसीलदार ने बिना जांच किये उक्त भुमि को अप्रार्थीगण के पिता रोडू पुत्र भुवाना माली के खातेदारी मे से हटाकर संवत 2018–21 में मंदिर गोपालजी के नाम गलत तरीके से अंकन कर दिया जबकि उक्त भुमि संवत 2009 की बातोनी बंदोवस्त मे अप्रार्थीगण के पिता रोड पुत्र भुवाना माली का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। खतोनी बन्दोवस्त नंवत 2009 जबाव के साथ संलग्न है।

➢ बीस साला सेटलमेंट संवत 2009 के पश्चात अप्रार्थीगण के पिता के खातेदारी में से हटाकर मंदिर के नाम करने का कोई औचित्य नहीं है।

➢ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट का पेश किया गया है, जबकि धारा 136 एल0आर0 एक्ट में अप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती। इस कारण प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट चलने योग्य नहीं है व खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

➢ उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का अर्से से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भुमि से मंदिर का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। भूमि मंदिर की नही है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध कतई झूठा मुकदमा बनाया है जिसमें कोई असलियत नहीं है। बाकिया उज्रात वरवक्त बहत जुबानी अर्ज किये जावेगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➢ अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। यदि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को मंदिर के गलत लगा दी गई है तो उसे वापस अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कराने की कृपा करें।

4. प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0/2021/436 दिनांक 26.02.2021 द्वारा रिपोर्ट पेश की है कि–

- जमाबंदी संवत् 2018–2021 के खाता संख्या 592 में खसरा नंबर खसरा नंबर 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 रकबा 9 बीधा 19 बिस्वा माफी मंदिर गोपाल जी कृषक रोडू पुत्र भुवाना माल सा0 देह ढाणी सोलपुर दर्ज है।

- जमाबंदी संवत् 2222–25 के खाता संख्या 455 में खसरा नंबर 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 राडू पुत्र भूवान जाति माली सा0 ढाणी सोलपुर के नाम खातेदारी दर्ज कर दी एवं माफी मंदिर गोपाल जी का नाम हटा दिया गया।

- हाल जमाबंदी ग्राम सोलपुर संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 115 में खसरा नंबर 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 क्रमशः 1.42 है0, 0.25 है0, 0.14 है0, 0.10 है0, 0.20 है0, 0.38 है0 माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है।

- आवेदित भूमि पूर्व में भी मंदिर माफी थी एवं वर्तमान में भी माफी मंदिर है।

5. बकुलाय बहस सुनी गई। मैंने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया।

6. वकील अप्रार्थीगण का कथन किया है कि साबिक खसरा नंबर 1158, 1115, 1276, 1294, 1300, 1178 रकबा 9 बीधा 19 बिस्वा वाले ग्राम ईसरदा सोलपुर खतोनी बन्दोबस्त संवत 2009 में अप्रार्थीगण के पिता रोडू पुत्र भुवाना माली के खातेदारी में दर्ज है। आज भी अप्रार्थीगण उक्त भुमि पर काबिज है। अप्रार्थीगण की उक्त भुमि को तहसीलदार ने बिना जांच किये उक्त भुमि को अप्रार्थीगण के पिता रोडू पुत्र भुवाना माली के खातेदारी मे से हटाकर संवत 201[illegible] [illegible] मंदिर गोपालजी के नाम गलत तरीके से अंकन कर दिया जबकि [illegible] 2009 की बातोनी बंदोवस्त मे अप्रार्थीगण के पिता रोड पुत्र भुवाना माली का न[illegible] बतौर खातेदार दर्ज है। न्यायालय में प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0 एक्ट का पेश किया गया है, जबकि धारा 136 एल0आर0 एक्ट में अप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती। पैरोकार सरकार **(तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा)** ने कथन किया है कि हाल जमाबंदी ग्राम सोलपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 115 में खसरा नंबर 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 क्रमशः 1.42 है0, 0.25 है0, 0.14 है0, 0.10 है0, 0.20 है0, 0.38 है0 माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है, जिस कारण विवादित आराजीयात पूर्व में भी माफी मंदिर श्री गोपाल जी महाराज विराजमान ईसरदा के नाम दर्ज थी एवं वर्तमान में भी माफी मंदिर श्री गोपाल जी महाराज विराजमान ईसरदा के नाम दर्ज है, जिस कारण इस प्रकरण को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मेरी विनम्र राय में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने एवं वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रकरण औचित्यहीन होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3 द्वारा चाहा गया अपने जवाब में चाहा गया अनुतोष भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित आराजीयात ग्राम सोलपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 115 में खसरा नंबर 30, 301, 653, 669, 674, 985/396 क्रमशः 1.42 है0, 0.25 है0, 0.14 है0, 0.10 है0, 0.20 है0, 0.38 है0 माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान हिस्सा पूर्ण यथावत बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:31:49 IST
Reason: SelfAttested